बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

सं0सं0-10/प्र0गृह0स्था0-04/2015- 499
दिनांक - 28.02.18.

आवश्यक सूचना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 3 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड के गठन करने का प्रावधान है। बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट तथा संबंधित जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्यायपीठ के गठन करेंगे। वर्तमान में राज्य के 9 जिले में यथा दरभंगा, छपरा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), शिवहर, गोपालगंज, बक्सर, नवादा, लखीसराय एवं मधेपुरा किशोर न्याय परिषद् गठन किया जाना है।

किशोर न्याय परिषद् के सदस्य के रूप में चयन हेतु इच्छुक व्यक्ति वांछित कागजात संलग्न करते हुए अपना आवेदन समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर वेबसाईट **http://jobs.scpsbihar.in/inner/currentopenings_dsw.asp** पर कर सकते हैं। आवेदक की आयु की गणना 01-03-2018 से की जायेगी। विदित हो कि आवेदन online ही जमा किया जाना है। इस संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो दूरभाष संख्या-0612-2207556 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बोर्ड के सदस्यों से संबंधित अर्हताएँ किशोर न्याय नियमावली, 2017 के नियम 4 एवं नियम 88(5) में प्रावधानित है। बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाईट www. Socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

28/2/18

(सुनील कुमार)
अपर सचिव-सह-निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।